संचालनालय, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, चतुर्थ तल, भोपाल–462004

सत्र 2009–10 में बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नालाजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र एवं काउंसिलिंग कार्यक्रम।

(चतुर्थ चरण)

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू. पी. 10652,10842,10843,11458 /2009 में दिनांक 09/11/2009 को दिये गये निर्देशानुसार तथा इस हेतु संस्थाओं द्वारा दी गई सहमति के आधार पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित होटल मेनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नालाजी पाठ्यक्रम की संस्थाओं में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र एवं नियम पुस्तिका विक्रय की तिथि 20/11/2009 से 24/11/2009(दोपहर 01:00 बजे तक)
भरे हुए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 24/11/2009 (दोपहर 2:00 बजे तक)

प्रवेश के लिये अर्हताः– मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से 10+2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा 50% अंकों के साथ उर्त्तीर्ण की हो जबकि मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) को 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

आवेदन पत्रों की उपलब्धताः– नियम पुस्तिका एवं आवेदन पत्र कार्यालय कांउसिलिंग सरदार वल्लभभाई पोलीटेकनिक महाविद्यालय, श्यामलाहिल्स, भोपाल से रूपये 150/–का डिमांड ड्राफट जो कि संचालक तकनीकी शिक्षा के नाम से भोपाल में देय हो को जमा कर प्राप्त प्राप्त किये जा सकते हैं।

भरे हुए आवेदन पत्र जमा करनाः– समस्त भरे हुए आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से दिनांक 24/11/2009 (दोपहर 2:00 बजे तक) **तक** कांउसिलिंग कार्यालय, सरदार वल्लभभाई पोलीटेकनिक महाविद्यालय, श्यामलाहिल्स, भोपाल में जमा कराना आवश्यक होगा ।

काउंसिलिंग कार्यक्रम

उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर उम्मीदवारों को निम्न काउंसिलिंग कार्यक्रम अनुसार सरदार वल्लभ भाई, पोलीटेकनिक महाविद्यालय, श्यामला हिल्स, भोपाल में प्रवेश/प्रवेश के लिए चांस लेने के लिए उपस्थित होना है :–

दिनांक एवं वार	समय	श्रेणी	अर्हकारी परीक्षा के अंकों का प्रतिशत
24/11/2009 (मंगलवार)	दोपहर 3:30 बजे	अनारक्षित श्रेणी के समस्त उम्मीदवार	50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अनारक्षित श्रेणी के लिए एवं 40 प्रतिशत या उससें अधिक अंक मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के उम्मीदवारो के लिये

नोटः– बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नालॉजी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के प्रवेश नियम, सहमति दी गई संस्थाओं की सीटों की जानकारी तथा विभिन्न प्रारूप संचालनालय तकनीकी शिक्षा की बेवसाईट www.mptechedu.org पर उपलब्ध है।

उम्मीदवारों को निम्न मूल प्रमाण–पत्रों के साथ (एक–एक फोटोप्रति सहित) काउंसिलिंग कार्यक्रम में दर्शाई तिथि को उपस्थित होना है :–

1. रूपये 9,500/– एवं रूपये 500/– के दो अलग–अलग बैंक ड्राफ्ट जो संचालक, तकनीकी शिक्षा म0प्र0 को भोपाल में देय हो। मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) को बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं करना है।

2. अर्हकारी परीक्षा 12 वीं परीक्षा की मूल अंकसूची।

3. दो पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ।

4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण–पत्र नियमों में दिये प्रारूपों में से कोई एक (यदि मध्यप्रदेश के मूल/स्थानीय निवासी हो)।

5. मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संबंधित जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)।

6. मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) जाति का सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)। 30 अप्रैल 2007 से पूर्व जारी किये गये प्रमाण–पत्र की दशा में उम्मीदवारों को परिवार का नवीनतम आय प्रमाण–पत्र लाना आवश्यक होगा।

पात्र उम्मीदवारों को मैरिट के अंकों के अनुसार संस्था का आवंटन किया जायेगा। काउंसिलिग के माध्यम से प्रवेश की कार्यवाही यदि किसी कारणवश निर्धारित तिथि को खत्म नहीं हो पाती तो अगले दिन तक भी चलेगी। अतः उम्मीदवार एक अतिरिक्त दिन की तैयारी के साथ कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होवें।

संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश